आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Department of Food and Public Distribution

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशन कार्ड धारकों को हर महीने मुफ्त चावल, गेहूं या मोटा अनाज। सही राशन कार्ड हो तो अलग से आवेदन नहीं करना होता।

क्या मिल सकता है

1 जनवरी 2024 से पांच साल तक मुफ्त अनाज (चावल, गेहूं और मोटा अनाज)। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को हर महीने प्रति परिवार 35 किलो। प्राथमिकता परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत देश की किसी भी राशन दुकान से ले सकते हैं।

किसके लिए है

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड वाले करीब 81.35 करोड़ लोग।

मुख्य शर्तें

- अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिकता परिवार श्रेणी का राशन कार्ड।
- 1 जनवरी 2024 से पांच साल तक मुफ्त अनाज।
- वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत किसी भी राशन दुकान से अनाज ले सकते हैं।

दस्तावेज़

- राशन कार्ड
- राशन कार्ड से जुड़ा आधार, जहां दुकान मांगे

आवेदन कैसे करें

1. इस योजना के लिए आवेदन नहीं करना होता। अपना राशन कार्ड लेकर राशन की दुकान जाएं और मुफ्त अनाज लें।
2. दूसरी जगह चले गए हों तो वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत किसी भी राशन दुकान से ले सकते हैं।
3. राशन कार्ड न हो या सही श्रेणी में न हो तो स्थानीय राशन कार्यालय या तहसील आपूर्ति कार्यालय में पूछें।

स्थिति

जारी

आधिकारिक स्रोत: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1980689
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/pmgkay/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।